

मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय-462004

:: आदेश ::

भोपाल, दिनांक 01/02/2021

क्रमांक: ~~एफ-1144~~¹⁴⁷/2020/38-3 :: कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में छात्रों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक एफ- 770/2020/38-3, दिनांक 13/08/2020 तथा आदेश क्रमांक 811/969/2020/38/शा.-03, दिनांक 26/08/2020 द्वारा सत्र 2019-20 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में निर्देश जारी किये गये हैं।

सत्र 2019-20 में विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के परिपालन में ही सत्र 2020-21 में नियमित/स्वाध्यायी परीक्षार्थी अपने निवास से ही स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए प्रायोगिक कार्य, सेसनल कार्य, आंतरिक मूल्यांकन/असाईनमेन्ट जमा करना, परीक्षा परिणाम की घोषणा एवं स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाओं के संचालन की कार्यवाही संलग्न परिशिष्ट - एक एवं दो अनुसार पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

"अ" - स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा संचालन की पद्धति : मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल आदेश क्रमांक एफ-770/2020/38-3, दिनांक 13/08/2020 एवं आदेश क्रमांक एफ-811/969/2020/38-3, दिनांक 26/08/2020 में जारी निर्देशों के परिपालन में ही सत्र 2020-21 में परीक्षाओं के आयोजन के संबंध में स्नातकोत्तर प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिये परिशिष्ट-एक अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जाए।

1. **स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (नियमित) विद्यार्थियों के लिए निर्देश :** स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों के लिए आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांको को आधार अंक मानते हुए 100 प्रतिशत मूल्यांकन अंक प्रदान किया जाए। आंतरिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाएँ संबंधित विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में संधारित की जाएगी।

2. **स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिए निर्देश :** प्रदेश के महाविद्यालयवार स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के समस्त स्वाध्यायी (प्रायवेट) परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के नियमित विद्यार्थियों की तरह आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाईनमेन्ट प्राप्त कर, मूल्यांकन उपरांत प्राप्तांकों के आधार पर घोषित किया जाएगा। परीक्षा परिणाम घोषित करने के लिए बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

3. **स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर (नियमित) विद्यार्थियों के लिए निर्देश :** स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए गत सेमेस्टर के विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान वर्ष के आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत जोड़कर उसे वर्तमान सत्र का प्राप्तांक मानते हुए परीक्षा परिणाम घोषित करते हुए आगामी सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाए।



4. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर (स्वाध्यायी) विद्यार्थियों के लिए निर्देश : प्रदेश के महाविद्यालयवार स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा परिणाम के लिए नियमित परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन की पद्धति की ही तरह असाइनमेन्ट प्राप्त कर, मूल्यांकन उपरांत परीक्षा परिणाम घोषित किया जाए।

I. असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न पत्र का निर्माण एवं प्रेषण : स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिए अग्रेषण केन्द्र के संबंधित विषय के शिक्षक द्वारा असाइनमेन्ट के लिए प्रश्न का चयन कर महाविद्यालयों के पोर्टल पर कक्षावार, विषयवार एवं प्रश्नपत्रवार अपलोड किया जाए। इसके साथ ही परीक्षार्थियों को स्मार्ट फोन/ई-मेल पर प्रश्न पत्र भेजना भी सुनिश्चित किया जाए। इस आशय की सूचना समस्त संबंधित स्वाध्यायी परीक्षार्थियों को पंजीकृत मोबाइल/ई-मेल आई डी पर प्रेषित की जाए। संबंधित सम्पूर्ण कार्यवाही महाविद्यालय के प्राचार्य की मॉनिटरिंग/निगरानी में सुनिश्चित की जाए।

II. असाइनमेन्ट जमा करना : संबंधित अग्रेषण केन्द्र में ही स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर के स्वाध्यायी परीक्षार्थी असाइनमेन्ट की उत्तर पुस्तिका जमा करेंगे। इसके लिए विश्वविद्यालयवार समय-सारणी जारी की जाएगी।

III. मूल्यांकन पद्धति : संबंधित अग्रेषण केन्द्रों एकत्रित असाइनमेन्ट अग्रेषण केन्द्र के प्राचार्य विषय शिक्षक से मूल्यांकन कराकर प्राप्तांक ऑनलाइन संबंधित विश्वविद्यालय को प्रेषित करेंगे। यह सम्पूर्ण कार्यवाही प्राचार्य, अग्रेषण केन्द्र की मॉनिटरिंग/ निगरानी में पूर्ण की जाए।

IV. परीक्षा परिणाम घोषित करने की पद्धति : विश्वविद्यालयवार असाइनमेन्ट के प्राप्तांकों को मूल्यांकन अंक के रूप में स्वीकार किया जाएगा। स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के गत वर्ष के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत तथा वर्तमान असाइनमेन्ट का 50 प्रतिशत जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा।

V. असाइनमेन्ट का संधारण : स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के असाइनमेन्ट का संधारण मूल्यांकन उपरांत विश्वविद्यालय के नियमानुसार अग्रेषण केन्द्र में किया जाएगा।

"ब" - स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर परीक्षा आयोजन : सत्र 2020-21 के लिए स्नातक प्रथम/ द्वितीय/तृतीय तथा स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर के लिए संचालित विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में विद्यार्थियों की भौतिक रूप से उपस्थिति के साथ पेन/पेपर मोड के माध्यम से परिशिष्ट-2 अनुसार परीक्षाएं आयोजित की जाए।

1. परीक्षाओं के आयोजन के समय परीक्षा केन्द्रों पर कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

2. परीक्षा केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करते हुए आवश्यकता पड़ने पर निकट के अशासकीय महाविद्यालयों /विद्यालयों को भी परीक्षा केन्द्र के रूप में प्रयोग किया जाए।

3. अशासकीय महाविद्यालयों में शासकीय महाविद्यालयों से प्राध्यापकों को पर्यवेक्षक के रूप में भी नियुक्त किया जाए। विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में आवश्यकता पड़ने पर अशासकीय महाविद्यालय तथा शासकीय विद्यालय के शिक्षकों से वीक्षकीय कार्य करवाया जाए।

राज्य शासन द्वारा कोरोना (कोविड-19) के परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए सत्र 2020-21 की विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संदर्भ में लिया गया यह निर्णय प्रदेश के समस्त शासकीय विश्वविद्यालय/निजी विश्वविद्यालय/दूरवर्ती विश्वविद्यालय तथा शासकीय महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/निजी अशासकीय महाविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों में संचालित समस्त पाठ्यक्रमों पर लागू होगा।

संलग्न-परिशिष्ट- एक एवं दो।


(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पू. क्रमांक एफ 144/144/2020/38-3,

भोपाल, दिनांक 01/02/2021

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल, राजभवन सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 2. उप सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 3. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 4. प्रमुख सचिव के स्टाफ आफीसर, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय मध्यप्रदेश भोपाल।
 5. निज सहायक, अपर आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
 6. उपसचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
 7. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, मध्यप्रदेश भोपाल।
 8. निज सहायक, कुलपति, समस्त पारंपरिक एवं निजी विश्वविद्यालय मध्यप्रदेश।
 9. समस्त, क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
 10. कुलसचिव, समस्त पारंपरिक / निजी / दूरस्थ विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
 11. प्राचार्य, समस्त शासकीय / स्वशासी / अनुदान प्राप्त अशासकीय / अशासकीय महाविद्यालय, म.प्र.
 12. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, आई. टी. शाखा, उच्च शिक्षा संचालनालय सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -1

अकादमिक कार्य सत्र 2020-21 स्नातकोत्तर प्रथम/तृतीय सेमेस्टर हेतु विस्तृत
समय-सारणी :-

क्रमांक	अकादमिक कार्य	स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर	स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर
1	प्रायोगिक कार्य,	जनवरी-2021	
2	आंतरिक मूल्यांकन/असाइमेन्ट जमा करने के लिए अवधि	01 फरवरी से 13 फरवरी 2021	15 फरवरी से 26 फरवरी 2021
3	प्रायोगिक सेसनल कार्य जमा करना	15 फरवरी से 26 फरवरी 2021	01 फरवरी से 13 फरवरी 2021
4	परीक्षा परिणाम की घोषणा	31 मार्च 2021	31 मार्च 2021
5	स्नातकोत्तर द्वितीय/चतुर्थ सेमेस्टर की कक्षाओं का संचालन	01 मार्च 2021	

(वीरन सिंह भलावी)


अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग

परिशिष्ट -2

अकादमिक कार्य सत्र 2020-21 में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर कक्षाओं के लिये परीक्षाओं का आयोजन हेतु समय-सारणी :-

क्रमांक	अकादमिक कार्य	स्नातक			स्नातकोत्तर	
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	द्वितीय सेमेस्टर	चतुर्थ सेमेस्टर
1	आंतरिक मूल्यांकन	फरवरी-2021			अप्रैल-2021	
2	प्रायोगिक परीक्षाएँ	मार्च- 2021			मई-2021	
3	विश्वविद्यालय परीक्षा (नियमित/स्वाध्यायी)	अप्रैल-मई 2021			16 जून से 31 जून 2021	01 जून से 15 जून 2021
4	परीक्षा परिणाम की घोषणा	30 जून 2021			31 जुलाई 2021	

 20-2-2021

(वीरन सिंह भलावी)

अवर सचिव

म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग